अनुसूची १४ – फारम सं० ५६२

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश फलक ता० .... से .... तक

जिला–सिमडेगा .... सं० .... सन् 2000

केस का प्रकार अनुमति वाद सं० 272 / 2017-18

धारा 46 के अन्तर्गत

आदेश के क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे तारीख सहित टिप्पणी
1	2	3
13-10-17	आवेदक राजेश कन्डुलना पिता/पति स्व० ईश्वरदास कन्डुलना ग्राम टैंसेरा थाना बोलबा जिला–सिमडेगा ने निम्नांकित विवरण की भूमि को प्रस्तावित क्रेता सिसिलिया केरकेट्टा पिता/पति इलियास केरकेट्टा ग्राम डुमरटोली थाना बोलबा जिला–सिमडेगा, को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम,1908 की धारा–46 के अन्तर्गत बिक्री हेतु अनुमति के निर्मित आवेदन पत्र अर्पित किया है। क्रेता एवं विक्रेता का प्रतिशपथ पत्र के साथ अधिवक्ता की नियुक्ति पत्र भी जमा की गई है। **भूमि का विवरण** मौजा: टैंसेरा; थाना/थाना नं०: बोलबा/93; खाता सं०: 190; प्लॉट सं०: 2030; रकबा: 0.31 ए० (2.99 ए० में से) कुल आवेदित रकबा (शब्दों में) इकतीस डीसमील मात्र। आम इश्तहार निर्गत करें। साथ ही अंचलाधिकारी, बोलबा से विस्तृत जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 28-10-17 को रखें। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमडेगा।	

27-1-2021 अभिलेख उपस्थापित। अपरिहार्य कारणों से अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। कोई पैरवी नही पड़ी । अंचल अधिकारी कोलेबिरा से जाँच एवं तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अभिलेख दिनांक 9-2-21 को रखें।

LRDC
Simdega

9-2-21 अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी कोलेबिरा से जाँच एवं तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अभिलेख दिनांक 26-2-21 को रखें।

LRDC
Simdega

26-2-21 अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी कोलेबिरा के द्वारा लंबी अवधि तक जाँच एवं तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अभिलेख दिनांक 12-3-21 को रखें।

LRDC
Simdega

Scanned with CamScanner

12-3-21

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी कोलेबिरा के द्वारा जांच प्रतिवेदन/तामिला प्रतिवेदन प्राप्त/अप्राप्त है। इस वाद में आवेदक अथवा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक लम्बी अवधि के अन्तराल तक कोई पैरवी नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस अनुमति वाद में अंकित भूमि की बिक्री हेतु कोई अभिरुची/आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में अभिलेख की अग्रेतर कार्रवाई बार–बार करना प्रासांगिक नहीं लग रही है।

अतः इस अनुमति वाद का एक पक्षीय सुनवाई करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सिमडेगा।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2021.07.08 10:59:10 +05:30
Location: 192.168.182.7

Scanned with CamScanner